

(दीपा कटारे)

न्याय निर्णायक अधिकारी

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर  
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 39/2021 dt 15-12-21

प्रकरण दर्ज दिनांक .....

आवेदक : श्री राजेश ठाकुर अथवा श्री संपदा ठाकुर

CGRERA-P-Exc.m.PRD-2020-0105

आदेश कार्यवाही की  
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रति  
के हस्ताक्षर

24-03-2022

प्रकरण वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदक द्वारा श्रीमती राशुल अधि।

अनावेदक द्वारा कोई नहीं।

अनावेदक अधि. को वी.सी. से जुड़ने के लिए कई बार मोबाईल से संपर्क करने की कोशिश की गयी किन्तु उन्होंने मोबाईल फोन नहीं उठाया। अतः अनावेदक व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अनावेदक के विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय सुनवाई किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आवेदक की ओर से एक आवेदन निष्पादन प्रकरण समाप्त किये जाने बाबत पेश किया। आवेदन में यह निवेदन किया गया है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के मकान में आवश्यक सुधार कर आवेदक को मकान का अधिपत्य प्रदान कर दिया गया है। आवेदक एवं अनावेदक के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है और आवेदक आदेश की पूर्ण संतुष्टि में प्रकरण वापस लेना चाहता है।


(दीपा कटारे)  
न्याय निर्णायक अधिकारी  
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर  
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 39/2021 dt 15-12-21

प्रकरण दर्ज दिनांक .....

आवेदक : श्री अशोक उग्रनाथ शर्मा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

CGRERA-P-Exc.no.PRD-2020-01051

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रति के हस्ताक्षर
	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.02.2021 को पारित आदेश का संपूर्ण पालन उभयपक्षों द्वारा कर दिया गया है। अतः आदेश की पूर्ण संतुष्टि में प्रकरण खारिज किया जाता है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: center;"> (दीपा कटारे) न्याय निर्णायक अधिकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p>	